आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

सेवा अपील वाद संख्या –44 / 2020

सुनील कुमार सिन्हा

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	**आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर**	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
20.04.2023	यह अपीलवाद जिलाधिकारी, पश्चिम चम्पारण के आदेश ज्ञापांक 34 दिनांक 13.01.2020 से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है। वाद का सारांश यह है कि भारतीय स्टेट बैंक, शाखा–नरकटियागंज में प्रखंड विकास पदाधिकारी, नरकटियागंज के नाम से संधारित खाता सं0–11421885642 से विभिन्न तिथियों में फर्जी चेक के माध्यम से कूल 12,26,000 / –रूपये निकासी हेतु अपीलकर्ता को दोषी पाये जाने पर प्रपत्र 'क' गठित करते हुए जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण के ज्ञापांक 152 दिनांक 26.03.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच को संचालन पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया गया। अपीलकर्ता के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में निम्न आरोप लगाये गये :– (i) भारतीय स्टेट बैंक शाखा नरकटियागंज के खाता सं0–11421885642 से विभिन्न तिथियों में निम्नलिखित फर्जी चेक के माध्यम से कुल 12,26,000 / – (बारह लाख छब्बीस हजार रूपये मात्र) की निकासी की गई है।	

WEB COPY NOT OFFICIAL

दिनांक	चेक सं0	राशि
20.07.2015	157387	170000
22.07.2015	157390	195000
22.07.2015	157392	185000
24.07.2015	157396	191000
25.07.2015	157394	485000

विदित हो कि चेक आपके प्रभार में था। जाँचोपरांत उक्त नम्बर का मूल चेक आपके पास गया। अतः फर्जी चेक के माध्यम से मो0 12,26,000/– (बारह लाख छब्बीस हजार) राशि की निकासी की गई है। फर्जी चेक तथा फर्जी निकासी हेतु आप (श्री सुनील कुमार सिन्हा, तत्कालीन नाजिर) दोषी है।

(ii) मो0 12,26,000/– (बारह लाख छब्बीस हजार रूपये मात्र) की फर्जी निकासी में आपने (श्री सुनील कुमार सिन्हा, तत्कालीन नाजिर) अनाधिकृत रूप से बाहरी व्यक्ति श्री राजेश महतो साकिन–सितवापुर का सहयोग लिया, जो दिनांक 25.07.2015 को चेक सं0–157394 द्वारा मो0 4,85,000/– (चार लाख पचासी हजार) रूपये फर्जी निकासी के समय आपके (श्री सुनील कुमार सिन्हा, तत्कालीन नाजिर) साथ था, जो स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा नरकटियागंज के सी0सी0टी0वी0 फुटेज से भी स्पष्ट होता है। जिसकी पहचान प्रखंड के प्रधान सहायक श्री नरेन्द्र मणि त्रिपाठी के द्वारा की गई है। इससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा (श्री सुनील कुमार सिन्हा, तत्कालीन नाजिर) अनाधिकृत व्यक्ति के साथ मिलकर सरकारी राशि का गबन एवं जालसाजी किया गया है, जो सरकारी सेवा के आचरण के विपरीत है।

(iii) आपके (श्री सुनील कुमार सिन्हा, तत्कालीन नाजिर) द्वारा फर्जी निकासी में अनधिकृत बाहरी व्यक्ति श्री राजेश महतो का बराबर सहयोग लिया जाता रहा है। यह इस बात से स्पष्ट है कि दिनांक 25.07.2015 को सामाजिक सुरक्ष पेंशन की राशि मो0 45,00,000 (पैंतालीस लाख) रूपये निकालने के समय प्रखंड विकास पदाधिकारी का सरकारी

WEB COPY NOT OFFICIAL

वाहन बी0आर022पी0902 मे अंचल गार्ड के स्थान पर राजेश महतो को आप साथ ले गये।

(iv) आप (श्री सुनील कुमार सिन्हा, तत्कालीन नाजिर) पर जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण के द्वारा रोकड़ पंजी, बैंक के पासबुक अद्यतन नहीं रखने, अमर्यादित आचरण के लिये निलंबन की कार्रवाई की गई थी, जिसपर विभागीय कार्यवाही भी चली और आपको निंदन की सजा हुई।

अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के स्थानांतरण के फलस्वरूप जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण के आदेश ज्ञापांक 74 दिनांक 24.02.2017 द्वारा लंबित विभागीय कार्यवाही के निष्पादन हेतु निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जि0ग्रा0वि0अ0 को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में सभी आरोप सत्य पाये जाने पर जिला पदाधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को निम्नतर कालमान वेतन में अवनति का दंड अधिरोपित किया गया।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि :–

(i) फर्जी चेक एवं फर्जी हस्ताक्षर से राशि की निकासी की जानकारी अपीलकर्ता को दिनांक 25.07.2015 को हुई, जब अपीलकर्ता बैंक में पासबूक अद्यतन कराया। उक्त फर्जी निकासी की मौखिक सूचना दिनांक 25.07.2015 को ही प्रखंड विकास पदाधिकारी, नरकटियागंज को दिया तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिखाया कि जिस चेक सं0 से की निकासी की गई है, उस चेक सं0 का पूरा बुक अपीलकर्ता के पास उपलब्ध है। लेकिन अपीलकर्ता के मौखिक शिकायत पर प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी। तत्पश्चात् अपीलकर्ता ने दिनांक 01.08.2015 एवं 03.08.2015 को लिखित आवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी को देकर उच्च स्तरीय जाँच कराने की मांग की गयी।

(ii) उपरोक्त फर्जी निकासी हेतु भारतीय स्टेट बैंक, नरकटियागंज में कार्यरत कैशियर (श्री मदन मोहन बर्नवाल) दोषी है तथा अपीलकर्ता निर्दोष है।

WEB COPY NOT OFFICIAL

(iii) दिनांक 25.07.2015 को प्रखंड विकास पदाधिकारी, नरकटियागंज ने अपीलकर्ता को आदेश दिया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 45,00,000/– (पैंतालीस लाख) रूपये का निकासी करे। तत्पश्चात् अपीलकर्ता ने अपने नाम से बियरर चेक निर्गत किया तथा इतनी बड़ी राशि निकासी हेतु साथ में अंचल गार्ड को ले जाने हेतु खोज किया तो पता चला कि अचंल गार्ड अंचलाधिकारी, नरकटियागंज के साथ गये हुए है। इसकी सूचना अपीलकर्ता द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, नरकटियागंज को देते हुए कहा कि इतनी बड़ी राशि की निकासी बिना गार्ड के जाना उचित नहीं है। रूपया की निकासी कल किया जा सकता है। जिसपर प्रखंड विकास पदाधिकारी, नरकटियागंज ने अपीलकर्ता से कहा कि कल समाजिक सुरक्षा के पेंशनधारियों को राशि का भुगतान किया जाना है। आप राजेश महतो के साथ सरकारी वाहन बी0आर0 22 पी0 0902 लेकर जाये। प्रखंड विकास पदाधिकारी, नरकटियागंज के आदेशानुसार अपीलकर्ता उक्त आरोपी राजेश महतों के साथ करीब अपराहन् 1:30 बजे बैंक शाखा पहुँचे। इस प्रकार अपीलकर्ता पूरी तरह से निर्दोष है एवं जिला पदाधिकारी का आदेश निरस्त होने योग्य है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्ता और उसका दलाल श्री राजेश महतो दोनो मिलकर फर्जी चेक के माध्यम से 12,26,000/– (बारह लाख छब्बीस हजार) रूपये की निकासी कर लिये। उक्त के आलोक में अपीलकर्ता को दिया गया दंड नियमानुकूल है एवं अपीलकर्ता का अपीलवाद खारिज होने योग्य है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता (श्री सुनील कुमार सिन्हा) प्रखंड कार्यालय, नरकटियागंज में नाजिर के पद पर कार्यरत थे। उनके संरक्षण में रखे चेक के हुबहु फर्जी चेक पर 4,85,000/–(चार लाख पचासी हजार) रूपये की फर्जी निकासी की गयी। फर्जी निकासी के संबंध में उनसे प्रपत्र 'क' की प्रति उपलब्ध कराते हुए स्पष्टीकरण की मांग की गयी एवं विभागीय कार्यवाही शुरू की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए जिला पदाधिकारी को जाँच प्रतिवेदन

WEB COPY NOT OFFICIAL

समर्पित किया गया। समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोप प्रमाणित पाये जाने पर जिला पदाधिकारी द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा की मांग की गयी। प्राप्त कारण–पृच्छा पर विचारोंपरांत जिला पदाधिकारी द्वारा उन्हें निम्नतर कालमान वेतन मे अवनति का दंड दिया गया। इस प्रकार निम्न न्यायालय के आदेश में कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

चेक के संरक्षण का जिम्मा नाजिर का होता है। नाजिर के संरंक्षण में रखे गये चेक की हुबहु प्रति पर फर्जी निकासी किया जाना नाजिर के संलिप्तता को दर्शाता है। बैंक से सामाजिक पेंशन की राशि की निकासी हेतु नाजिर द्वारा अंचल गार्ड के स्थान पर बाहरी व्यक्ति श्री राजेश महतो को सरकारी गाड़ी से लेकर जाना प्रमाणित करता है कि अपीलकर्ता एवं श्री राजेश महतो के बीच सांठ–गांठ है और उन दोनों के द्वारा मिलीभगत कर अवैध निकासी की गयी है। श्री सिन्हा, नाजिर का यह कृत्य गंभीर प्रकृति का भ्रष्टाचार है। "बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 की कंडिका 3 (1) में अंकित है कि :–

हर सरकारी सेवक सदा

(i) पूरी शीलनिष्ठा रखेगा,

(ii) कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा रखेगा, और

(iii) ऐसा कोई काम न करेगा जो सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय हो।

इस प्रकार अपीलकर्ता द्वारा उपर्युक्त नियमों का उल्लंघन किया गया है। यदि इन्हें कठोर दंड नहीं दिया जाता है, तो सरकारी राशि के अवैध निकासी को बढ़ावा मिलेगा, जिसे रोक पाना संभंव नहीं होगा। इस प्रकार इस संबंध में जिला पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश नियमानुकूल एवं उचित है, जिसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पाते हुए यह अपीलवाद खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त।**

WEB COPY NOT OFFICIAL